छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 363 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02488**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''बिजनेस पार्क'', प्रमोटर–संभव डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री मनीष जैन, पता–28, जीवन प्लाजा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''बिजनेस पार्क'' पता–पूलगांव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
23/10/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन अनुसार यह पाया गया है कि भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''बिजनेस पार्क'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA280921001271** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 28.09.2021 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 01.03.2024 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 26.07.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता तिथि 01.03.2024 को समाप्त हो गई है। अनावेदक द्वारा विधिक प्रतिनिधि श्री शाश्वत सुराना प्रकरण में उपस्थित हुये और जवाब प्रस्तुत हेतु समय चाहा गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये दिनाँक 05.09.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन का विस्तारण दिनाँक 26.09.2025 तक किया गया है। अनावेदक द्वारा यह भी जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रोजेक्ट वाणिज्यिक प्रोजेक्ट है,	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 363 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02488**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''बिजनेस पार्क'', प्रमोटर–संभव डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री मनीष जैन, पता–28, जीवन प्लाजा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''बिजनेस पार्क'' पता–पूलगांव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	जिसके पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में स्थानीय नगर निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के बीच स्पष्टता नहीं थी। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट वैधता तिथि समाप्त होने के पूर्व ही दिनाँक 29.09.2023 को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन कर दिया गया था। अतः अनावेदक की कोई चूक या त्रुटि नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य	